5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

1976

Rs. 5060-0
250-0
45-0
5355

994, 995

S31 S32 23-3-2000

1.नाम लेख्यकारी- **श्री भगवान दास** पिता का नाम स्वर्गीय नथुनी ठाकुर निवास स्थान ग्रामतल दानापुर पत्रा-लय दीघा जिला पटना। भारतीय नागरिक।

23-3-2000

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD.

DIRECTOR

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(2)

2.नाम लेख्यधारिणी:— श्रीमती अंजुना धर्मपत्नी श्री शैलेश कुमार

निवास स्थान ग्राम कन्हौली थाना दरौली जिला सिवान।

भारतीय नागरिका।

3.लेख्य प्रकार :— *निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला बैयलाकलामी।*

4.मूल्यांकन :— मो0 2,53,000/—(दो लाख तिरपन हजार) रूपया

मात्र।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

DIRECTOR

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.　सत्यमेव जयते　भारत　Rs 5000

पाँच हज़ार रुपये　FIVE THOUSAND RUPEES

(3)

5.सम्पति का सम्पूर्ण विवरण :– *मवाजी* (4000 वर्गफीट) चार हजार वर्गफीट अवासिय परती सकना लायक मकान,हकियत रैयती कायमी नर्कदी वाके मौजा दानापुर शहजादपुर परगना फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना जो अन्दर पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना वाके है जिसकी तौजी संख्या 5400 (पांच हजार चार सौ) थाना संख्या 21 (इक्कीस) खाता संख्या 254 (दो सौ चौवन) सर्व खेसरा संख्या 921 (नौ सौ एकइस) का पार्ट भाग जिसकी सालाना मौ0 1.00 पैसा अलावे शेश बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर (पटना) ।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

DIRECTOR

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(4)

चौहद्दी — माप

उत्तर	:-पार्ट प्लौट न0 920	उत्तर	:-44 फीट
दक्षिण	:-पार्ट प्लौट 952	दक्षिण	:-42 फीट
पूरब	:-20फीट चौडा रास्ता जिसे सामने के भू स्वामी द्वारा छोडा गया है।	पूरब	:-94 फीट 8 ईंच
पश्चिम	:-सर्वे प्लौट न0 919	पश्चिम	:-91 फीट

यह कि इस बिक्रय के साथ दो प्रति में नक्शा भी संलग्न है। जिसमें बिकी वाला भूभाग लाल रंग से दिखलाया गया है। यह नक्शा इस वशिका बिकी पत्र का अंग समझा जायगा।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

Alok Kumar Sinha

DIRECTOR

(5)

यह कि लेख्यकारी ने उपरोक्त सम्पति की बिकी हेतु शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 ई0 की धारा 26 (1) के अन्तर्गत पटना के — के सक्षम पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र पर दिनांक 22–10–1999 ई0 को सूचना दाखिल किया था। जिसका कमांक संख्या 7132 वर्श 1999 ई0 है जिसकी अवधि साठ दिनो से अधिक समाप्त हो चुकी है। और सरकार द्वारा उक्त सम्पति के अधिग्रहण की कोई सूचना लेख्यकारी को प्राप्त नहीं हुई है जिससे उक्त अधिनियम की 26 (11) के अनुसार स्पष्ट है कि— लेख्यकारी द्वारा उपरोक्त सम्पति की बिकी करने में सरकार को आपत्ति नहीं है।

23-3-2010

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

DIRECTOR

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(6)

संदर्भ

हकियत यह है कि उपरोक्त खाने न0 5 में वर्णित सम्पति एवं – अन्य सम्पति को लेख्यकारी के पिता श्री नथुनी ठाकुर ने अपने खास अर्जित आय से बजरिय वशिका केवाला वय ला कलामी मरकुमा तरीख 20–04–1953 ई0 को नविस्ते श्री देवदत सिह पिता का नाम स्व0 पचकौडी सिंह वो रामरती देवी जौजे पचकौडी सिंह निवासी दानापुर थाना दानापुर जिला पटना ो बेय खरीद किया था। जिसका पुस्तक संख्या 1वशिका संख्या 1237 सन1953 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी केदिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्री नथुनी ठाकुर स्वयं खाने न0 5 में वर्णित सम्पति एवं अन्य सम्पति पर काबिज दखिल रहकर अपने तीन पुत्रगण क्रमशः श्री रामचन्द्र ठाकुर वो लेख्यकारी वो श्री देवचन्द्र ठाकुर को अपना वारिस जायज छोडकर अरसा दराज हुआ कि स्वर्गवास कर गये वो बाद स्वर्गवास अपने पिता के लेख्यकारी वो उनके भ्रातागण के बीच आपस में खानगी बटबारा हुआ जिसके अनुसार खाने न0 में वर्णित सम्पति लेख्यकारी को खास दाज एवं हिस्सा में मिला।जिसपर

स्टाम्प 23-3-2011

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

Alok Kumar

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

(7)

जिसपर लेख्यकारी काबिज दखिल रहते चले आते है। वो लेख्यकारी का नाम जमाबन्दी रैयत संख्या 4114 में दर्ज पाया गया है।

लेख्यकारी को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमन्द सम्पति के लिए रूपयों की अत्यन्त इत्यादि आवश्यक्ता है और जब तक खाने नं0 5 में – वर्णित सम्पति की बिक्री लेख्यकारी नहीं करते है तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेख्यकारी के वास्तें वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारी बहेसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारो से परामर्श इत्यादि लेकर – बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित मूल्य मो0– 2,53,000/– (दो लाख तिरपन हज़ार) रूपया मात्र में लेख्यधारिणी खानें नं0 2 के बेचा वो बैयलाकलामीं किया वो लेख्य निशपादन का एकरार सहर्श स्वीकार किया।

मूल्य के कुल रूपयो को लेख्यकारी ने इस वशिका पर दस्खत के पुर्व ही खरीदार से वसुल पाया।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

भारत

१०००रु. Rs 1000

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

खाने नं0 5 के वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविश्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मुल्य के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके – उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविश्य में प्राप्त होता रहेगा। खरीदार – खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति पर बहैसियत सम्पति के मूल खरीदार वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेख्यकारी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस बिक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें। उस वक्त लेख्यकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी। होगा वो यदि लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी भी गलत ब्यांन से किसी किस्म के उजूरदारी या दावा निस्बत एराजी मजकुर या जरे सम्मन मजकुर के करे तो उनकी दावा या उजूरदारी बमोकबले वशिका बिक्रय पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी दिवानी या फौजदारी अदालत में कानूनी कारवाई – करने योग्य नहीं होगा ।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(9)

लेख्यकारी (बिक्रेता) ने लेख्यधारिणी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है किन्खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार से पूर्णतः मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारी ने खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये है । वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0 5 में वर्णित सम्पति में पाया जाये या लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी सम्पति के अंश या कुल भू- भाग से बेदखल कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्ताराधिकारी को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी अपने क्षति पूर्ति बकदर बेदखली या जो-जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे लेख्यकारी से या उनके उतराधिकारी से या उनके अन्य चल एवं अचल सम्पति से कानूनी सूद के साथ कानूनी कारवाई करके वसुल वो वेबाक कर लेवेंगे । उस वक्त लेख्यकारी या उनके किसी भी उतराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न होगा।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(10)

यह कि महल्ला गामतल थाना दानापुर जिला पटना मे लेख्यकारी का अवासिय मकान अन्दर होल्डींग संख्या 30 है। इसके दक्षिणी भाग मे से 3 फीट चौडा एवं सड.क से मकान के पूरबी छोर तक लम्बा जमीन लेख्यकारी ने अपने भ्राता श्री रामचन्द्र शर्मा को दे दिया है । तथा इसके बदले मे खाने न05 मे वर्णित सम्पति लेख्यकारी को हिस्सा में दिया गया है।यह तीन फीट चौडा जमीन श्री रामचन्द्र शर्मा की खास सम्पति समझी जायगी। तथा लेख्यकारी भविश्य मे किसी प्रकार का कोइ दावा उपरोक्त सम्पति पर नहीं करेंगे ।

23-3-2000

VAIBHAV GREEN...

DIRECTOR

750Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु.

Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

DIRECTOR

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

DIRECTOR

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२०रु. TWENTY RUPEES 20Rs.

इस वास्ते यह वसिका निर्विवाद बिक्रय-पत्र यानि केवाला बैयला-कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे (समाप्त)

प्रमाणित किया जाता है कि मूल प्रति एवं द्वितिय प्रति कुल चौदह पृस्ठों में तैयार की गई है जो एक दूसरे का सच्ची प्रतिलिपी है।

प्रारूपकर्ता

[illegible]

लेख्यकारी का हस्ताक्षर

मo [illegible] दास
23-3-2000

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD
DIRECTOR

19:04

164.100.130.48/citizen/payment

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार
प्रपत्र-XIV क
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

बिहार सरकार

ऑनलाइन
Running Unique No.: 0456253724
(Receipt No.)

जिला - Patna	अंचल - Danapur
हल्का - नगर परिषद दानापुर	मौजा - दानापुर
जमाबंदी सं0 - 6058 भाग वर्तमान - 79 पृष्ठ संख्या - 67070	थाना/थाना सं0 - 21
जमाबंदी रैयत का नाम - ANJUNA अभिभावक का नाम - SHAILESH KUMAR	पता - SIWAN ,

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
233	921	0 एकड़ 4.18 डिसमिल 0 हैक्टेयर

बकाया मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	वार्षिक दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	40.00	10.00	0.00	50.00	2016-2017 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	58.00	14.50	0.00	80.00	2016-2017 से 2020-2021
कुल	24.50	98.00	24.50	0.00	130.00	2016-2017 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	40.00	10.00	50.00	2016-2017 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	58.00	14.50	80.00	2016-2017 से 2020-2021	
कुल	98.00	24.50	130.00	2016-2017 से 2020-2021	

कुल बकाया-130.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- One Hundred Thirty Rupees

तिथि- 06-07-2020

यह एक कम्प्यूटर जनित प्राप्ति है।
यह प्रपत्र केवल आपकी जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए सम्बंधित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

Print

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD
Alok Kumar Giri
DIRECTOR

अनुसूची।१४—कारम सं ५६२

आदेश—पत्र

(देखें अभिलेख हुस्तक १६४२ का नियम १२६)

आदेश फलक .... सा० .... तक

जिला .... सन् १९

केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० 2158/99-1996

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12	आज दिनांक 23/2 जो राजस्व कार्य के निरस्तार के प्रसंग में ग्राम .... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में .... बल्द श्री .... ग्राम .... थाना .... जिला .... ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे बकोला संख्या .... दिनांक .... प्रति है जन्होंने श्री .... बल्द .... ग्राम .... थाना .... जिला .... से खरीद लिया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
[illegible]	31		228	429	[illegible]

हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 25/3 को उपस्थित करें।

अंचलाधिकारी

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

१) रैयती है।

२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

३) जमाबन्दी .... के नाम से कायम है।

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

इनकी अनुशंसा नामांतरण हेतु है। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांतरण पर किसी प्रकार की आपत्ति नही की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामांतरण ———— दी जाती है।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

कैम्पपति

अंचल अधिकारी दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy
Head Clerk
Authorised under Sec. 76 Act of 1872

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD
DIRECTOR

दाखिल खारिज प्रतिवेदन

वाद नम्बर—

साल—

हल्का नम्बर— 7

मौजा— [illegible]

राजस्व थाना नम्बर— 91

जिला—पटना

…0 में जमीन रकबा

प्राप्त का जरिया— [illegible]

वरखास्त

केवाला— 7855

तिथि 23.3.2007

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 5578
[illegible]	248	621	0.17	[illegible]	[illegible]
[illegible]	242	322	0.12		
बचा हुआ रकबा					[illegible]
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	[illegible]
[illegible]	248	621	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VAIBHAV GREEN HOMES PVT. LTD